श्री मिथिलेश तिवारी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त
तारांकित प्रश्न संख्या-18/2/1212 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि- 1. क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के सिधवलिया प्रखंड अन्तर्गत अमरपुरा पंचायत के बंजरिया एवं बैकुंठपुर प्रखंड अन्तर्गत प्यारेपुर, आशा खैरा, पकहा, शीतलपुर एवं महारानी गाँव नारायणी नदी (गंडक) के किनारे अवस्थित है, जिनको नदी के कटाव से जान-माल का खतरा बना रहता है, यदि हां, तो सरकार उक्त गांवों में निवास कर रहे हजारों नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा हेतु कबतक गाइड बाँध का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि गोपालगंज जिला के सिधवलिया प्रखंड अन्तर्गत अमरपुरा पंचायत का प्रश्नगत बंजरिया ग्राम सल्लेहपुर टंडसपुर छरकी के नदी भाग में एवं बैकुंठपुर प्रखंड अन्तर्गत पकहा एवं शीतलपुर ग्राम बन्धौली-शीतलपुर-फैजुल्लाहपुर जमींदारी बांध के नदी भाग में अवस्थित है। प्यारेपुर एवं आशा खैरा ग्राम मटियारी रिंग बांध के तथा महारानी ग्राम महारानी छरकी के नदी भाग एवं कन्टी भाग, दोनों तरफ अवस्थित है। बाढ़ 2025 के दौरान प्रश्नगत बंजरिया, प्यारेपुर, आशा खैरा, पकहा, शीतलपुर ग्राम के समीप कटाव नहीं हुआ है। महारानी ग्राम के समीप बाढ़ 2025 के दौरान नदी तट का कटाव होने की स्थिति में तत्काल बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराया गया था। साथ ही इस स्थल के समीप कटाव निरोधक कार्य कराया जा रहा है, जिसे 15 मई, 2026 के पूर्व पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। तटबंध के नदी भाग में बसे प्रश्नगत ग्रामों के सुरक्षार्थ नया तटबंध/ गाइड बाँध निर्माण का विकल्प तकनीकी रूप से संभाव्य नहीं है। बाढ़ अवधि में कटाव होने पर आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थलों को सुरक्षित रखा जाता है।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–25/वि0स0प्र0(गो0)–05–43/2026–　　　　　　　　पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को अष्टादश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के लिये प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–18/2/1212 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

Desktop-R.M.F./2025/ Sec-25/memo

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(गो0)–05–43 / 2026–   पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(गो0)–05–43 / 2026–   पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(गो0)–05–43 / 2026– 1165   पटना, दिनांक– 12/03/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11.03.26
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

11.03.26